

नहीं है। अगले दिन थाणा खेसराहा से साकारपार चौकी भेजा गया, वहाँ पहुँचने पर चौकी इंचार्ज ने कहा कि एफआईआर थाणा पर दर्ज होता है, उनका कहना है कि वहाँ से खेसराधिकारी बांसी के पास गया, वहाँ से खेसराहा थाणे को कार्यवाही करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अभिनव राय ने कहा कि वह एफआईआर राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश सचिव एफआईआर जिला उपाध्यक्ष हैं। ऐसा व्यवहार होने पर वह स्वयं को ठग्रा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खेसराधिकारी से अनुरोध किया है कि उस के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए।